

भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 13855
दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवाओं पर राजसहायता

13855. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार डॉक्टर, अस्पताल, फार्मासिस्ट और एजेंटों द्वारा साझा किए जाने वाले लाभ के नियंत्रण हेतु विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के बाद उपयोग की जाने वाली तीसरी और चौथी पीढ़ी की एंटीबायोटिक दवाओं के थोक मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य में अंतर को कम करने की योजना बना रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार विशेषज्ञों द्वारा निर्मित ब्रांड जो केवल उन्हीं के पास उपलब्ध होते हैं और गरीबों को लूटने का एक अनूठा तरीका है, की रीति को नियंत्रित करने तथा आमतौर पर महंगी मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याओं, गुर्दे के रोग, यकृत रोग, गठिया आदि जैसे असाध्य रोगों के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली दवाओं पर राजसहायता देने की योजना बना रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्ल्यू) की राष्ट्रीय आवश्यक दवा की सूची (एनएलईएम) को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-1 में सम्मिलित किया गया है। डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 के अंतर्गत फॉर्मूलेशन का उल्लेख उनकी चिकित्सीय श्रेणी के अनुसार किया गया है। जेनरेशन अर्थात् तीसरी या चौथी जेनरेशन के एंटीबायोटिक्स के आधार पर एंटीबायोटिक्स का कोई अलग वर्गीकरण नहीं है। यद्यपि, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-1 की धारा 6.2 "एंटीबैक्टेरियल" वर्ग से संबंधित है, जिसमें 27 दवाइयों के 95 फॉर्मूलेशन शामिल हैं। इनमें से, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण

प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक एनएलईएम, 2022 के अंतर्गत 74 फॉर्मूलेशन और एनएलईएम, 2015 के अंतर्गत 11 फॉर्मूलेशन के लिए अधिकतम मूल्य नियत किया गया है।

अनुसूची-1 में सूचीबद्ध दवाइयों का अधिकतम मूल्य एनपीपीए द्वारा नियत किया जाता है, और इसमें मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याओं, गुर्दे की बीमारियों, यकृत विफलता और गठिया के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली अनुसूचित दवाइयां शामिल हैं। एनपीपीए द्वारा नियत मूल्यों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् nppaindia.nic.in उपलब्ध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि दवाइयों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता, चाहे वह ब्रांडेड हो या जेनेरिक, आयातित या बिक्री के लिए विनिर्मित हो, देश में वितरण के लिए उसी मानक का अनुपालन करना आवश्यक है जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करके यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एकल सक्रिय घटक युक्त औषधि विनिर्माण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन केवल उचित नाम पर ही किया जाएगा। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में यह अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन किया गया है कि यदि आवेदक किसी ब्रांड नाम या व्यापार नाम के अंतर्गत दवा का विपणन करना चाहता है तो आवेदक को औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को फॉर्म 51 में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि देश में किसी भी दवा के संबंध में ऐसा या समान ब्रांड नाम या व्यापार नाम पहले से विद्यमान नहीं है और प्रस्तावित ब्रांड नाम या व्यापार नाम से बाजार में कोई भ्रम या धोखा नहीं होगा।
